सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्थान–सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01 / 2016

बउनवान

रामचन्द्र पुत्र श्री मथुरालाल जाति कुमावत निवासी गगचाना तहसील छीपाबडौद जिला बारां
(निगराकार)

बनाम

1– छीतरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत
2– सत्यपाल पुत्र श्री भूरालाल जाति कुमावत
3– रामगोपाल पुत्र श्री प्रेमा जाति कुमावत
4– घांसीलाल पुत्र श्री नाथुलाल जाति कुमावत
5– ग्राम पंचायत गगचाना जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत गगचाना
6– रूपलाल पुत्र श्री भूरालाल जाति कुमावत
7– ग्राम पंचायत गगचाना जर्ये सचिव ग्राम पंचायत गगचाना

(गैरनिगराकार)

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2016 अन्तर्गत पंचायती राज. अधि. 1994 की धारा 92

उपस्थित :– 1– श्री मदन गोपाल केवडा अभिभाषक **(निगराकार)**
2– श्री अनोज शर्मा अभिभाषक **(गैरनिगराकार क्रम 1,2,3,6)**

निर्णय दिनांक 12.07.2019

निगराकार ने यह निगरानी जर्ये अभिभाषक ग्राम पंचायत गगचाना के प्रस्ताव संख्या 3 से पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध अन्तर्गत पंचायती राज. अधिनियम 1994 की धारा 92 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दिनांक 01.07.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत गगचाना से प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की गई। गैरनिगराकार क्रम 4, 5 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। गैर–निगराकार क्रम 1, 2, 3 व 6 जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई

निगराकार के अभिभाषक द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों को दौराहते हुऐ कथन किया कि यह निगरानी ग्राम पंचायत गगचाना के प्रस्ताव सं0 03 दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत गगचाना के सरपंच श्री सुरेन्द्र तथा कोरम के पंचों ने मिलकर प्रस्ताव सं0 3 पारित किया है कि ''कोरम में गैरनिगराकार छीतरलाल, श्योपाल, रामगोपाल, घांसीलाल निम्न व्यक्तियों ने शिकायत की है कि रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल व नन्दकिशोर पुत्र अमर लाल दोनों व्यक्तियों ने हमारा रास्ता रोक दिया है तथा हमारे खेत पर

जाने का रास्ता तुरन्त खुलासा करवाया जावे। ग्राम पंचायत कोरम ने गैरनिगराकारों की परेशानी को देखते हुए मौसम का ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से निर्णय लेकर मौका मुआयना करके निर्णय किया कि रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल व नन्दकिशोर पुत्र दोनों पक्षो के बीच 10 फीट का रास्ता देने का फैसला मौके पर ही किया गया एवं कुंए के रामचन्द्र की तरफ का बबूल का पेड व पत्थरों का भी हटायेगा। यह रास्ता छीतरलाल, कन्हैयालाल व रूपलाल, सत्यनारायण पुत्र भूरालाल की बाडी की मेड से होते हुए घांसीलाल पुत्र नाथुलाल कुमावत निवासी गगचाना की बाडी तक रास्ता कायम रहेगा।

एक ही दिन में गैरनिगराकार के आवेदन पर ग्राम पंचायत गगचाना के सरपंच श्री सुरेन्द्र व गैरनिगराकार छीतरलाल, श्योपाल, रामगोपाल, घांसीलाल की मिलीभगत होने के उक्त रास्ता कायम किया गया है। मौके पर कोई नही है। ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधानें के अनुसार ग्राम पंचायत को नया रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नही है। नये रास्ते का अधिकार केवल मात्र 251 आर0टी0 एक्ट के तहत तहसीलदार एवं 251 (क) आर0टी0एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी के अधिकार दिये गये है। ग्राम पंचायत केवल आबादी भूमि के रास्तों का निर्धारण कर सकती है। आदेश पारित करने से पूर्व या प्रस्ताव लेने से पूर्व निगराकार को कतई नही सुना गया है। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार निगराकार को विविवत सुनवायी, जवाबदेही एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ग्राम पंचायत को केवल परम्परागत रास्ते को खुलासा करवाने का अधिकार है जबकि प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौके पर निगराकार का बबूल का पेड तथा पत्थरों का कोट कायम है जिसे भी जबरन उक्त प्रस्ताव की आड में नष्ट करने पर गैरनिगराकार आमदा है।

ग्राम पंचायत गगचाना ने उक्त आदेश पारित करने मे बाद त्वरित पालना करने के लिए गैरनिगराकारों को सूचित किया है जबकि आदेश पारित करने से पूर्व निगराकार को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नही दिया गया। ग्राम पंचायत गगचाना ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। खसरा नं0 700/469 तथा खसरा नं0 462 मात्र 3 बीघा 16 बिस्वा बाडी है, इस छोटी सी जोत में निगराकार अपने परिवार का गुजर बसर करता है। निगराकार एवं गैरनिगराकार के बीच आपस में राजस्व वाद जैरकार है। राजस्व न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.06.2016 से उक्त भूमि बाबत् स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जिस पर गैरनिगराकार को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। राजस्व न्यायालय की उक्त कार्यवाही रामचन्द्र बनाम छीतरलाल के अन्तर्गत भी 08.09.2016 को नायम तहसीलदार छीपाबडौद ने मौका देखा जिसकी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड कोई रास्ता मौके पर सरकारी नही है। गैरनिगराकार जबरन नवीन रास्ता कायम करवाना चाहते है।

निगरानी के समर्थन में गैरनिगराकारों ने संबंधित दस्तावेज पेश किए है, 20.06.2016 के नोटिस जो निगराकार को प्रास्त हुआ है। उसमे आदेश दिया है कि 3 दिन में आप रास्ता कायम कर दे। इस नोटिस से ही स्पष्ट है कि निगराकार को नाहक तरीके से गैरनिगराकार एवं सरपंच द्वारा केवल परेशान किया गया है, जो सर्वथा विधि विरूद्ध एवं कानून बाहय व क्षैत्राधिकार से परे है। पंचायत एक्ट के अनुसार ग्राम पंचायत को बिना सुनवायी, जबादेही एवं अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये बिना

कोई भी कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार नही हो सकता। निगराकार के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 2002 RRD 571, 747, 314 प्रस्तुत की गई।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत गगचाना का आदेश दिनांक 20.06.2016 के तहत पारित प्रस्ताव सं0 3 को निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक गैरनिगराकार क्रम 1, 2, 3 व 6 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि ग्राम पंचायत गगचाना के प्रस्ताव संख्या 3 से पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 अन्तर्गत पंचायती राज. अधिनियम 1994 की धारा 92 के तहत जारी किया गया है। जो गैरनिगराकार काश्तकार की वर्तमान रास्ते की समस्या को देखते हुए नियमानुसार विधि अनुरूप बैठक दिनांक 20.6.2016 के प्रस्ताव नं0 3 लिया जाकर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत गगचाना के प्रस्ताव संख्या 3 से पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 यथावत रखा जावे।

हमने प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैरनिगराकार क्रम **1, 2, 3 व 6** की सुनी उस पर मनन किया अधीनस्थ न्यायालय, ग्राम पंचायत गगचाना से प्राप्त मूल प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.06.2016 का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक निगरानी अन्तर्गत राज0 पंचायती राज. अधिनियम 1994 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत गगचाना के आदेश दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा राज0 काश्तकारी कानून कि विपरित दिया गया है। जिसका श्रवणाधिकार उपखण्ड अधिकारी होने से ग्राम पंचायत गगचाना द्वारा जारी किया गया प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.06.2016 को निरस्त किया जाता है। गैरनिगराकार सक्षम न्यायालय में चाराजोही किये जाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां